<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम बिहारशरीफ, नालन्दा</u>
नियमित जमानत आवेदन संख्या 1470 / 2022
भारतेन्दु कुशवाहा बनाम बिहार सरकार
गिरियक (पावापुरी) थाना कांड संख्या 404 / 2022
अंतर्गत धारा 407, 420, 468, 34 भा0 द0 वि0

<u>15.10.2022</u>

दिनांक 11.09.2022 से कारावासित अभियुक्त भारतेन्दु कुशवाहा की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री गया प्रसाद एवं विद्वान लोक अभियोजक मो0. कैसर ईमाम का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

संक्षेप मे अभियोन का मामला यह है कि गावर कंस्ट्रक्शन के मैंनेजर दिनांक 19.07.2022 को समय 2:30 पीएम बजे जब कंपनी कि तरफ से जांच की जा रही थी तो श्री विनोद कुमार त्रिपाठी को 9000 लीटर की घोटाले में पाया गया है जिसमें विनोद कुमार त्रिपाठी ने फर्जी दस्तख्त करके डीजल का घोटाला किया है। इसके कार्यकाल के दौरान कई तरह के घोटाले उजागर हुए है जिसमें डीजल एवं सीमेंट में एक बड़ी धांधली सामने आई है। इस फर्जीवाड़े में संतोष कुमार, महावीर फयुल सेंटर के मैंनेजर मुकेश व मनोज सुपरवाईजर को बराबर सहभागी माना है एवं कंपनी के रिकार्ड से भी विदित है इसमें कुछ और लोग शामिल हो सकते है हमलोग अपने स्तर से जांच के उपरांत आवेदन दे रहे है।

बचाव पक्ष के द्वारा कथन किया गया कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है इन्हें झूठा केस में फंसाया गया है। आवेदक के कब्जे दोषी ठहराये जाने योग्य कुछ भी सामान बरामद नहीं किया गया है। आगे उनका कथन है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुआ है और पूरा अभियोग सत्य से परे है। आवेदक के विरूद्ध उक्त धारांए आकर्षित नहीं होता है। आगे उनका कथन है कि आवेदक का नाम सह अभियुक्तो के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर गिरफतार किया गया है और स्वीकारोक्ति बयान के अलावे कोई दूसरा साक्ष्य नहीं है। अतः आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के उपरोक्त आवेदन का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है आवेदक का नाम सह अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम बिहारशरीफ, नालन्दा</u>

नियमित जमानत आवेदन संख्या 1470 / 2022

भारतेन्दु कुशवाहा बनाम बिहार सरकार

गिरियक (पावापुरी) थाना कांड संख्या 404 / 2022

अंतर्गत धारा 407, 420, 468, 34 भा0 द0 वि0

बयान के आधार पर आया है। वादी मौखिक रूप से स्वीकारोक्ति दिया है कि फर्जीबाड़े में आवेदकगण का बराबर का सहभागी माना है। आवेदकगण को घटनास्थल से गिरफतार नहीं किया गया है। इसी कांड के सह अभियुक्तो को बी.पी.नं0. 1267 / 2022 एवं 1295 / 2022, 1308 / 2022 से जमानत प्राप्त है। आवेदक का भी जमानत का आधार उक्त जमानत प्राप्त आभियुक्तो के समरूप है। आवेदक दिनांक 11.09.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः मामले के सभी तथ्यों व कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए द.प्र.स. की धारा 437(2) के तहत आवेदक को **15,000 / –** रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
बिहारशरीफ, नालन्दा ।